

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-1432 / 15संस्थित दिनांक-30.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र पुत्र रामेन्द्रसिंह गुर्जर उम्र 22 साल

निवासी ग्राम सिरसौदा थाना गोहद जिला भिण्ड

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 30.03.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1-बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 24.12.15 को समय 12:30 बजे, ग्राम चिनकूपुरा से आगे सिरसौदा आम रोड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति एक कट्टा 315 बोर मय 315 बोर जिंदा कारतूस रखा।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना गोहद चौराहे पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक रामकुमार पाठक दिनांक 24.12.15 को मय फोर्स शासकीय वाहन से गश्त के लिए रवाना हुए। दौरान गश्त उन्हें ग्राम बिरखडी में मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त आम रोड से आ रहा है। उक्त सूचना पर आम रोड ग्राम चिनकूपुरा के आगे पहुंचे वहां आ रहे व्यक्ति ने पुलिस को देखा तो इधर उधर चलने लगा जिसे घेरकर रोककर नाम पता पूछा तो अभियुक्त ने अपना नाम व पता बताया। तलाशी लेने पर उसके पैट की बांयी तरफ कमर में एक 315 बोर का लोडेड कट्टा मिला। जिसे खोलकर देखने पर एक जिंदा राउण्ड मिला। अभियुक्त से उक्त कट्टा व कारतूस जब्तकर जब्ती पत्रक बनाया, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया। थाना आकर अप0क्र0-291/15 पर अपराध पंजीबद्ध किया। दौरान अनुसंधान साक्षियों के कथन लेख किए गए। जप्तशुदा कट्टा व कारतूसों की जांच कराई गई। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.12.15 को समय 12:30 बजे, ग्राम चिनकूपुरा से आगे सिरसौदा आम रोड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति एक कट्टा 315 बोर मय 315 बोर जिंदा कारतूस रखा ?

**-:: सकारण निष्कर्ष ::-**

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अजय शर्मा अ0सा0 1, महेन्द्रसिंह भदौरिया अ0सा0 2, लक्ष्मण परमार अ0सा0 3, मनोज राजे अ0सा0 04, रामकुमार पाठक अ0सा0 05 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. प्रकरण में जब्तीकर्ता अधिकारी रामकुमार पाठक अ0सा0 5 यह कथन करते हैं कि दिनांक 24.12.15 को वे थाना गोहद चौराहे में एसआई के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को वे शासकीय वाहन से इलाका भ्रमण हेतु रवाना हुए थे। दौराने इलाका भ्रमण मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त अवैध कट्टा लिए बिरखडी की तरफ जा रहा है जिसकी तस्दीक हेतु मुखबिर के बताए स्थान चिनकूपुरा के आगे पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस के वाहन को देखकर इधर उधर चलने लगा जिसे घेरकर पकड़ा और नाम पता पूछा तो अभियुक्त ने अपना नाम भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र निवासी सिरसौदा का होना बताया। अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके पैट की कमर में एक 315 बोर का कट्टा मिला जिसे खोलकर देखा तो उसमें एक जिंदा राउण्ड पीतल का लगा था। अभियुक्त से कट्टा व कारतूस रखने का लायसेंस चाहा तो उसने न होना बताया। अभियुक्त से जब्ती पत्रक प्रपी0 3 के अनुसार कट्टा कारतूस जब्त किए जाने तथा गिर0 कर गिर0 पत्रक प्रपी0 4 बनाए जाने का कथन किया गया है। तत्पश्चात् अभियुक्त को मय कट्टा कारतूस थाने लाकर अप0क0-291/15 पंजीबद्ध किए जाने जिसकी प्राथमिकी प्र0पी0 7 बताकर उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

7. प्रकरण में प्र0पी0 3 के जब्ती पत्रक व प्र0पी0 4 के गिरफ्तारी पत्रक के साक्षी लक्ष्मणसिंह अ0सा0 3 व मनोज राजे अ0सा0 4 हैं जो कि पुलिस साक्षी हैं। साक्षी लक्ष्मणसिंह जब्ती साक्षी के अतिरिक्त अनुसंधानकर्ता भी हैं। प्रकरण में लक्ष्मण परमार अ0सा0 3 दिनांक 24.12.015 को थाना गोहद चौराहा में प्र0आर0 के रूप में पदस्थ होने और उक्त दिनांक इलाका भ्रमण हेतु जाने का कथन करते हैं। बिरखडी में एसआई पाठक को सूचना मिलने पर मुखबिर के बताए स्थान ग्राम चिनकूपुरा के आगे आने पर अभियुक्त के पुलिस को देखकर इधर उधर चलने पर उसे घेरकर पकड़ने का कथन करते हैं। तत्पश्चात् अभियुक्त से नाम पता पूछने पर तलाशी लेने पर 315 बोर का कट्टा लोडेड हालत में मिलने का कथन करते हैं। घटनास्थल पर जब्ती पत्रक प्र0पी0 3 तथा गिर0 पत्रक प्रपी0 4 बनाए जाने जिन पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। मनोज राजे अ0सा0 4 भी

इसी प्रकार का कथन करता है और उसके समक्ष प्र०पी० 3 व 4 के दस्तावेज बनाए जाने का कथन करते हुए अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है। अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटनास्थल चिनकूपुरा से आगे सिरसौदा आम रोड बताया गया है किन्तु फिर भी एक भी स्वतंत्र साक्षी अभियोजन कार्यवाही के समर्थन में नहीं बनाए गए हैं ऐसे में अभियोजन का मामला संदिग्ध है। साक्ष्य विधि के अधीन ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जावे। पुलिस साक्षी की साक्ष्य को भी अन्य साधारण साक्ष्य की भांति विश्लेषित व परीक्षित करने की आवश्यकता होती है। जहां मात्र पुलिस साक्षी प्रस्तुत किए गए हों वहां अभियोजन का यह दायित्व हो जाता है कि वह अपने मामले को संदेह के समस्त परिस्थिति के आधारों से बाहर प्रमाणित करे।

8. प्रकरण में जब्तीकर्ता रामकुमार अ०सा० 5 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि थाने से 10:41 बजे रवाना हुए थे। साक्षी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि प्र०पी० 6 के रोजनामचा सान्हा रवानगी में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि भ्रमण पर जाते समय किस कर्मचारी के पास क्या हथियार थे। साक्षी यह कथन करते हैं कि थाने से निकलकर सबसे पहले डांग पहाड गए थे उसके बाद बंजारे के पुरा गए थे। इस सुझाव से इंकार करते हैं कि सबसे पहले पिपाहडी हैट गए थे। साक्षी यह कथन करते हैं कि उन्हें मुखबिर की सूचना बिरखडी के पास रोड पर प्राप्त हुई थी जिसने अभियुक्त का हुलिया व अभियुक्त के पहने हुए कपड़ों के बारे में बताया था, कथित सूचना 12 बजे प्राप्त हुई थी। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद वे बंजारापुरा नहीं गए बल्कि सिरसौदा तरफ गए थे। साक्षी लक्ष्मण परमार अ०सा० 3 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में थाने से सुबह 10 बजे निकलने का कथन करते हैं और थाने से निकलने के समय शस्त्रागार से हथियार निकालने का कथन करते हैं। साक्षी यह कथन करते हैं कि घटना दिनांक को दरोगाजी के साथ पिपाहडी हैट से होते हुए सीधे बिरखडी पहुंचे थे। साक्षी पिपाहडी हैट एक घंटे में पहुंचने और वहां से बिरखडी तक आधा घण्टे में पहुंचने का कथन करते हैं। साक्षी यह बताते हैं कि वे बिरखडी के बाद चिनकूपुरा गए थे। मनोज राजे अ०सा० 4 भी थाने से दस बजे निकलने का कथन करते हैं और यह कथन करते हैं कि गश्त के दौरान सबसे पहले बंजारापुरा तरफ ओर फिर बिरखडी गए थे और बिरखडी में सूचना मिलने पर चिनकूपुरा-सिरसौदा तरफ गए थे। इस प्रकार से उक्त सभी साक्षीगण घटनास्थल चिनकूपुरा के आगे सिरसौदा रोड पर पहुंचने के संबंध में भिन्न भिन्न स्थानों पर जाने का कथन करते हैं जो कि संदेहपूर्ण परिस्थिति को उत्पन्न करता है।

9. प्रकरण में जहां कि जब्तीकर्ता रामकुमार पाठक अ०सा० 5 यह कथन करते हैं कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली जिसके बाद अभियुक्त चिनकूपुरा और सिरसौदा के बीच मिला था। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में बताता है कि आरोपी की तलाशी लेने से पहले उसने अपनी तलाशी नहीं दी थी। इस संबंध में मनोज राजे अ०सा० 4 का कथन ध्यान देने योग्य है जो

प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह कथन करता है कि आरोपी को पकड़ने के बाद सबसे पहले तलाशी दरोगाजी ने ली थी। साक्षी यह भी बताता है कि आरोपी की तलाशी लेने से पहले दरोगा (रामकुमार पाठक) ने अपनी जामा तलाशी उसे दी थी। इस प्रकार से उक्त दोनों साक्षियों अर्थात् जब्तीकर्ता एवं जब्ती साक्षी के कथन में विरोधाभास मौजूद है। आयुध अधिनियम के अधीन ऐसा कोई आवश्यक प्रावधान नहीं है कि जब्तीकर्ता पुलिस अधिकारी पहले अपनी तलाशी अन्य व्यक्ति को देगा किन्तु जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा कोई तलाशी न दिए जाने का कथन तथा जब्ती साक्षी आरक्षक मनोज राजे अ0सा0 4 द्वारा जब्तीकर्ता अधिकारी की तलाशी लिए जाने का कथन परस्पर विरोधाभासी होकर संदेह की परिस्थिति को उत्पन्न करता है।

10. प्रकरण में जब्तीकर्ता रामकुमार पाठक अ0सा0 5 यह कथन करते हैं कि जब्तशुदा कट्टे को विवेचना किट के थैले में रखकर लाए थे जबकि साक्षी मनोज राजे अ0सा0 4 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन करते हैं कि कट्टा को साफी में बांधकर दरोगा जी लाए थे। ऐसे में जब्तीकर्ता अधिकारी जो कि कथित आग्नेय आयुध को जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी0 3 के अनुसार सीलबंद किए जाने के संबंध में तथ्य बताते हैं और उसे विवेचना किट के बेग में रखकर लाने का कथन करते हैं उसके विपरीत मनोज राजे अ0सा0 4 अभिकथित आग्नेय आयुध को साफी में लाने का कथन करते हैं और अपने प्रतिपरीक्षण में कट्टे को मालखाने में जमा कर देने का कथन करते हैं। यहां यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि अभिकथित कट्टा व कारतूस को यदि मालखाने पर जमा किया गया तो उसके अनन्यता के सुनिश्चित किए जाने के संबंध में संपूर्ण अभियोगपत्र व दस्तावेजों में मालखाने का कोई भी नंबर उल्लेखित नहीं है, यह तथ्य भी संदेहपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करता है।

11. प्रकरण में एसआई रामकुमार पाठक अ0सा0 5 द्वारा उन्हें अभिकथित सूचना 12 बजे के लगभग बिरखडी में प्राप्त होने का कथन किया है। जब्ती पत्रक प्र0पी0 3 सूचना से लगभग आधे घण्टे बाद तैयार किया जाना दर्शाया गया है साथ ही सूचना मिलने के बाद अभिकथित मुखबिर के बताए स्थान पर आम रास्ते पर दिन में जाते समय किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी के रूप में लिया जा सकता था किन्तु इस प्रकार से किसी व्यक्ति को जब्ती का साक्षी न बनाया जाना संदेहपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त प्र0पी0 3 के जब्ती पत्रक तथा प्र0पी0 4 के गिर0 पत्रक तैयार करने में 10-15 मिनट अवश्य लगना दर्शित हैं। किन्तु आम रास्ते पर 10-15 मिनट में कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति उपस्थित हुआ हो और उसे साक्षी बनाया गया हो, ऐसा कोई प्रयास भी नहीं किया गया है। प्रकरण में प्र0पी0 5 व 6 के रूप में रोजनामचा सान्हा को प्रदर्शित अवश्य कराया गया है किन्तु वे दस्तावेज मूल दस्तावेज नहीं हैं और न ही लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में उन्हें विधि अनुसार प्रमाणित कराए जाने का दायित्व अभियोजन द्वारा पूर्ण नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्र0पी0 7 की प्राथमिकी में रवानगी रोजनामचा सान्हा



क्रमांक का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही प्राथमिकी किस रोजनामचा सान्हा पर लेख की गयी, इसका भी उल्लेख है।

12. साक्षी आरक्षक अजय शर्मा अ0सा0 1 तथा महेन्द्रसिंह भदौरिया अ0सा0 2 क्रमशः आरमोरर तथा अभियोजन स्वीकृति लिपिक हैं जो कि कट्टा व कारतूस की जांच कर उनके चालू हालत में होने के संबंध में रिपोर्ट प्र0पी0 1 तथा अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन चलाने की अनुमति तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 39 के अधीन प्रदान किए जाने का आदेश प्र0पी0 2 के रूप में प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षियों की साक्ष्य में ऐसा कोई सारवान संदिग्ध तथ्य दर्शित नहीं हो रहा है जो कि उनकी अभिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार उत्पन्न करता हो। उक्त साक्षीगण प्रारूपिक साक्षी के स्वरूप के हैं।

13. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया है कि वह पूर्व से ही अन्य प्रकरण में अभिरक्षा में था, उसके विरुद्ध असत्य मामला पंजीबद्ध कर दिया गया है। इस संबंध में एसआई रामकुमार पाठक अ0सा0 5 को प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5, मनोज राजे अ0सा0 4 के कण्डिका 2 में सुझाव दिया गया कि वह किसी अन्य प्रकरण में अभिरक्षा में था। इस संबंध में अभियुक्त की ओर से न्यायालय विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला भिण्ड के विशेष डकैती प्रकरण क्र0 2/16 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.16 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसकी कण्डिका 16 में मान0 न्यायालय द्वारा लेख किया है कि "आरक्षक मनोज अ0सा0 9 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 23.12.15 को उक्त अपराध क्र0 241/15 में एसआई आर0के पाठक द्वारा उसके सामने आरोपी भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र को गिरफ्तार किया जाना तथा उससे 315 बोर का एक देशी कट्टा जब्त करना बताया गया है किन्तु इसके संबंध में एसआई आर0के पाठक अ0सा0 1 का कट्टा जब्ती बावत् कोई अभिसाक्ष्य नहीं है, कट्टा जब्ती का कोई दस्तावेज प्रदर्श भी नहीं कराया गया है, न ही आरोपी भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र के विरुद्ध आयुध अधि0 1959 के अंतर्गत अपराध का कोई आरोप विरचित है।" उक्त तथ्य से अभियुक्त की ओर से लिया गया बचाव कि वह पूर्व से ही अभिरक्षा में था, को बल प्राप्त होता है। जब अभियुक्त पूर्व दिनांक 23.12.15 में अभिरक्षा में लिया जा चुका था तो फिर उसके पास से दिनांक 24.12.15 को आग्नेय आयुध की जब्ती किया जाना किसी प्रकार से संभव प्रतीत नहीं होता है।

14. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष

समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 24.12.15 को समय 12:30 बजे, ग्राम चिनकूपुरा से आगे सिरसौदा आम रोड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति एक कट्टा 315 बोर मय 315 बोर जिंदा कारतूस रखा। अतः अभियुक्त भूरा उर्फ ब्रजेन्द्र को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

16. प्रकरण में जवतशुदा कट्टा व कारतूस अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजे जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

17. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश